

कार्यालय - मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर (बो)/15-क/ 8065-71 / मान्यता/2019-20/ दिनांक : 08 नवम्बर, 2019

सेवा में,
प्रबन्धक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष,
निर्मल आश्रम दीपमाला पारानी पब्लिक स्कूल,
श्यामपुर ऋषिकेश, देहरादून।

विषय :- नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम 17 में उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण-पत्र।

आपके आवेदन पत्र के क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय निर्मल आश्रम दीपमाला पारानी पब्लिक स्कूल, श्यामपुर ऋषिकेश, देहरादून को प्री-माईनरी से कक्षा 08 तक (एनो इण्डियन, अंग्रेजी माध्यम) संचालन हेतु 05 वर्षों दिनांक 01.09.2019 से 30.09.2024 तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अर्पित होगी :-

- मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
- विद्यालय नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करना।
- विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करना तथा उन्हें नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करना, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
- उपरोक्त क्रम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय जलपा से बैंक खाता का संचालित करना।
- संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यतिरिक्त अनुदान/कैम्पेडेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माला-पिता/अभिभावक का सम्बन्धित नहीं किया जाएगा।
- विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
- विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे-
(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्काशित किया जाएगा;
(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;
(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;
(पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में नि:शुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश किया जाएगा;
(छ) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधिक शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और
(सात) शिक्षक, नि:शुल्क पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
- विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा-
• विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल;
• कुल निर्मित क्षेत्र;
• खेल के मैदान का क्षेत्र;
• कक्षा-रुकों की कुल संख्या;
• प्रधानाध्यक्षक-सह-कार्यालय-सह-मंडार कक्ष;
• बादक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय;

आपके आवेदन पत्र के क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय निर्मल आश्रम दीपमाला पारानी पब्लिक स्कूल, श्यामपुर ऋषिकेश, देहरादून को प्री-माईनरी से कक्षा 08 तक (एनो इण्डियन, अंग्रेजी माध्यम) संचालन हेतु 05 वर्षों दिनांक 01.09.2019 से 30.09.2024 तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अर्पित होगी :-

- पेयजल की सुविधा;
- मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर;
- शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
- बाधारहित पहुँच;
- विद्यालय में हो विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
- विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
- विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
- विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
- लेखा का अंक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति, प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 1103 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
- राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर मींग गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्मित निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
- यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
- परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
- यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार यह मान्यता पांच वर्ष के लिए की गयी है, उक्त अवधि समाप्त होने से पांच माह पूर्व पुनः मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र स्वयं विद्यालय/संस्था को करना होगा। आवेदन न करने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय/संस्था का होगा।

भवदीय
80 / -
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

शिविर(बो)/15-क/ 8065-71 /मान्यता/2019-20 तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मि०), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।
6. नगर शिक्षा अधिकारी देहरादून।

Attended
Lalitha
Lalitha Krishnaswamy
Principal
Nirmal Ashram Deepmala
Pagarani Public School
Shyampur, Rishikesh (U.K.)

80 / -
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।
शिविर(बो)/15-क/ 8065-71 /मान्यता/2019-20 तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मि०), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।
6. नगर शिक्षा अधिकारी देहरादून।